बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-16
दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें" पर क्लिक करें।

→

अगर आप registered User है तो आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें" पर क्लिक करें।

↓

अपना जिला, अंचल चुनें तथा "दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें" पर क्लिक करें। अब आप दाखिल-खारिज का वाद संख्या तथा वर्ष भरकर "Next" बटन पर क्लिक करें। आपको वाद से संबन्धित विवरण दिखाई देगी, अगर विवरण सही हो तो "File Objection" पर क्लिक करें।

←

अब आप आपत्ति का विवरण दर्ज करें तथा संबन्धित दस्तावेज़ की PDF संलग्न कर "Proceed" बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP को भरें तथा "Submit"बटन पर क्लिक करें।
आपकी आपत्ति दर्ज हो जाएगी।

↓

आपकी आपत्ति राजस्व अधिकारी तथा अंचलाधिकारी को प्रतिवेदन करते वक़्त दिखाई देगी तथा वाद अभिलेख का हिस्सा बन जाएगी, ऐसे में आपके आपत्ति को बिना सुने अंचलाधिकारी वाद का निष्पादन नहीं कर सकते हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/LRC पर उपलब्ध लिंक "नागरिक सेवाएँ" पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु "नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी" लिंक पर क्लिक करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा जनहित में जारी

Follow us: RevenueBihar BiharRevenue